पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर
निदेशालय अनुसंधान, बीकानेर
(राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर)

क्रमांक– No.F.C)/ESTT./LRS/NHR/2025/74 दिनांक 19-06-2025

सीमित निविदा सूचना

विषय:निविदा सूचना संख्या –...74...... के अन्तर्गत ठेके आधारित बारानी खेती करने हेतु।

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर फार्म पर वर्ष 2025–26 के लिए ठेके आधारित बारानी खेती करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमन्त्रित की जाती है।

1	निविदा फार्म की दर व प्रकृति	रू 500.00 डी.डी.,बैंकर्स चैक अथवा नगद
2	निविदा संदर्भ	वर्ष 2025–26 के लिए ठेके आधारित बारानी खेती करने के लिये निविदा।
3	निविदा प्रपत्र संलग्न	निविदा प्रपत्र–क और ख
4	अनुमानित लागत	1.60 लाख
5	निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय	19.06.2025 से 25.06.2025 को दोपहर 1.00 बजे तक
6	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की तिथि	25.06.2025 दोपहर 2.00 बजे तक
7	निविदा खोलने की तिथि व समय	25.06.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे
8	निविदा खोलने का स्थान	पशुधन अनुसंधान केंद्र, नोहर
9	कार्य की अनुमानित अवधि	जुन–2025 से मई–2026
10	कुल खेती योग्य भूमि क्षेत्रफल	80.0 बीघा

निविदा फार्म शुल्क रू 500/–डी.डी., बैंकर्स चैक अथवा नगद कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर (Officer Incharge, Livestock Research Station, NOHAR) के नाम पर देय होगे। सफल निविदादाता को निविदा छुटने के बाद समस्त राशि 10 दिवस के अंदर कार्यालय में बैंकर चैक/डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट http://rajuvasbikaner.org एंव www.sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी
पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर

Scanned with OKEN Scanner

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर

निदेशालय अनुसंधान, बीकानेर

(राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर)

क्रमांक:- दिनांक:

निविदा फार्म (क)

योजना का नाम : वर्ष 2025-26 के लिए ठेके आधारित कृषि

निविदादाता का नाम एव पूरा पता	
निविदादाता का आधार न. एवं प्रति संलग्न करे।	

निविदादाता / कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण:

क्र.स.	विवरण	राशि (रू.)
1	वर्ष 2025-26 के लिए ठेके आधारित कृषि	

निविदा की शर्तें (ख):-

1.	निविदा निर्धारित प्रपत्र मे ही स्वीकार की जायेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क 500/-रू अग्रिम निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी जो डी.डी., बैंकर्स चैक अथवा नगद के माध्यम से ही जमा होगी । सफल निविदादाता को निविदा छुटने के बाद समस्त राशि 10 दिवस के अंदर कार्यालय में बैंकर चैक/डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी।
2	निविदादाता को रूपये 50/- के एफिडेविट पर यह लिखकर देना होगा कि निविदादाता किसी भी रूप में ब्लैक लिस्टेड नही है एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसके अतिरिक्त निविदादाता द्वारा ऐफिडेविट मे लिखकर दिया जायेगी कि उसने उक्त भूमि का भली भांति मौका मुआयना कर लिया गया है।
3	किसी प्रकार की काउण्टर कण्डीशन मान्य नही होगी।
4	निविदा मे दी गई दरों मे काट छांट नहीं होनी चाहिए। काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5.	निविदा की न्यूनतम राशि रू. 1.60 लाख एक वर्ष (जून-2025 से मई 2026) तक निर्धारित की गई है। अतः निविदा इस राशि से उपर भरी जावे।
6	कृषि कार्य के लिये ठेके पर दिये जाने वाली बारानी कृषि भूमि का क्षेत्रफल लगभग 80.00 बीघा है।
7.	फार्म कृषि हेतु अभिशाषित फसलों के लिए ठेकेदार बाध्य होगा तथा इस बावत पूर्व में इस कार्यालय को अवगत करवाकर सक्षम स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
8.	फार्म पर उगाई जाने वाली कोई भी फसल राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित नारकोटिक एक्ट (निषेध) से संबंधित हीं होनी चाहिए।
9.	फार्म पर उगाई जाने वाली फसलों की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
10.	ठेकेदार को श्रमिक कानून का कड़ाई से पालन करना होगा और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सारी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
11.	ठेकेदार कृषि भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करेगा एवं फार्म से पेड़/मिटटी आदि नहीं उठायेगा।
12.	सफल निविदादाता को ठेके पर काश्त हेतु भूमि संभालते समय फार्म की संपति, तारबंदी, पेड इत्यादि को ब्यौरे वार अपने नियंत्रण में रखना होगा, उसकी रखरखाव तथा निगरानी की संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। ठेके की अवधि समाप्ति पर हस्तान्तरण पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर को कराना होगा उसमें किसी प्रकार की ख्यानत पाई जाने पर केन्द्र द्वारा निर्धारित राशि नियमानुसार पीडीआर/एलआर एक्ट 19 के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
13.	उच्चतम दर को स्वीकार करना तथा बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी को होगा।
14.	ठेकेदार द्वारा अवांछित गतिविधियों मे भाग लेना सिद्व होने की दशा मे अविलम्ब बिना किसी सूचना के ठेका निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्तारकर्ता को होगा।
15.	कार्य करते समय किसी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
16.	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
17.	उपरोक्त शर्तो का पालन नही करने पर विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ठेके के अनुबंध को रद्ध कर दिया जायेगा।
18.	किसी प्रकार के विवाद की स्थिति मे न्यायिक क्षेत्र नोहर होगा।
19.	उपरोक्त शर्तो के अलावा RTPP के साथ GF &AR में वर्णित अन्य कोई शर्ते भी पूर्ण रूप से लागू होगी।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमनें पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्ते अच्छी तरह से पढ ली है तथा स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

Scanned with OKEN Scanner